उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U P POWER CORPORATION LTD.
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्याः–713–कार्य–चौदह/पाकालि/2015–70–के/2015 (प्रबन्ध निदेशक) दिनांकः 02/07/2015

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद गोण्डा में चेक से प्राप्त धनराशियों को अन्य उपभोक्ताओं के खातों में क्रेडिट करके जो अनियमितता की गयी है उसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इस आशय से एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि निम्न निर्देशों का पालन प्रत्येक विद्युत वितरण खण्ड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. जिस व्यक्ति अथवा संस्था का चेक है उसे ही क्रेडिट दिया जाय। इसके लिये चेक के मुख्य पृष्ठ पर ई–सुविधा अथवा संबंधित खण्ड के साथ–साथ चेक के पृष्ठ भाग पर उपभोक्ता का आई–डी नम्बर भी उपभोक्ता द्वारा स्वयं अंकित किया जाये तथा उपभोक्ता द्वारा पृष्ठ भाग पर अंकित आई–डी में ही धनराशि क्रेडिट की जाय।
2. प्राप्त चेक की जो रसीद जारी की जाती है उसमें बैंक का नाम, उपभोक्ता का एकाउन्ट नम्बर आदि अंकित नहीं किया जाता, जिसके कारण किसी भी समय यह ज्ञात नहीं होता कि जो चेक प्राप्त हुये हैं वह किस बैंक से संबंधित थे तथा किस उपभोक्ता के एकाउन्ट में धनराशि डेबिट हुई है। अतः भविष्य में रसीद पर बैंक का नाम तथा उपभोक्ता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. जिस दिन डिसआनर चेक बैंक से प्राप्त होता है उसके अगले दिन डिसआनर चेक की इन्ट्री उपभोक्ता के खाते में की जायेगी तथा कैश बुक में भी यह धनराशि घटा दी जायेगी।
4. कुछ वितरण खण्डों में कई वर्षों से बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में यह कहना मुश्किल है कि चेक के माध्यम से प्राप्त की गयी धनराशि में से कितनी धनराशि का क्रेडिट डिवीजन को मिला है। अतः भविष्य के लिये यह आवश्यक है कि गत 5 वर्षो का बैंक समाधान विवरण एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म रखकर तत्काल बनवा लिया जाय।
5. चेक तथा कैश के माध्यम से प्राप्त धनराशि उसी दिन बैंक में जमा की जायेगी तथा जमा की गयी धनराशि का ब्यौरा कैशियर/लेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। लेखाकार/कैशियर का यह दायित्व होगा कि वह अगले दिन की कैश बुक में बैंक में जमा की गयी धनराशि का ब्यौरा अंकित करेंगें।
6. आन–लाइन बिलिंग के माध्यम से जमा की गयी धनराशि का पूरा ब्यौरा प्रत्येक दिन कलेक्शन बन्द करने के बाद तैयार किया जायेगा तथा टेण्डर क्लोज किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः–713–कार्य–चौदह/पाकालि/2015–70–के/ 2015 तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0पाकालि, लखनऊ।
2. निजी सचिव, सम्बद्ध, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पाकालि, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल–लखनऊ/पश्चिमान्चल–मेरठ/दक्षिणान्चल–आगरा/पूर्वान्चल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकगण, मध्यान्चल–लखनऊ/पश्चिमान्चल–मेरठ/दक्षिणान्चल–आगरा/पूर्वान्चल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।
6. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, लेसा/मुख्य अभियन्ता, केसा।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/ विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ।

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)